

FORM - III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सुखवीर सिंह बनाम छिन्द्र कौर आदि
अन्तर्गत धारा 88,209 आरटीए नम्बर 272 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/375

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तामिल
हुक्म

22.08.2023

वादिया सुखवीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति मजहबी निवासी 9
एस बी तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू मनीष
जागिड़ ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,209 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज
रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर
पत्रावली दिनांक 13.09.2023 को पेश हो।

31/08/23

आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के
द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 209
RTA नोटप्रेस करने पर पेशी में ली
गई। वादी अधिवक्ता को सुना गया व
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी
अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा
88, 209 RTA नोटप्रेस करने पर वादी
का वादपत्र इसी स्तर पर पारित
किया जाता है। पत्रावली निगीति होकर
नम्बर से फाइल होकर दायित्व स्तर हो

Note press
Ajay Kumar



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

